

Final NOC

Print

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2023/80019/DER/DEORIA/600/CFO

दिनांक : 23-04-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स R.P.S. ACADEMY BHARAU LI DEORIA पता 196 MI,PA,DEORIA तहसील - RUDRAPUR प्लाट एरिया 6748.25 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया - (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	1	0	4.26 mt.

हे। भवन का अधिभोग मेसर्स R.P.S. ACADEMY BHARAU LI DEORIA द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 24-04-2023 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री ANIL KUMAR SINGH के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 26-04-2023 से 25-04-2026 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स R.P.S. ACADEMY BHARAU LI DEORIA अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स R.P.S. ACADEMY BHARAU LI DEORIA अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : AS PER RECOMMENDATION REPORT OF FSSO DEORIA, The owner/occupier shall keep duly trained staff . You have to perform monthly fire drill in your building as per NBC and GO with intimation to fire department and kept record of fire drills and equipments maintenance which shall be produced at the time of next renewal. Do not change the occupancy or structure of the building without permission of fire department. The open setback area is not checked at our end as it shall be checked by concerned building department as this is existed building. Electrical Safety certificate from electrical safety department about electricity related fittings, fixtures and arrangements shall be mandatory.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

ARVIND KUMAR SINGH

C6883436347576618DD9636E9B68589D326E7BD0

26-04-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 26-04-2023

स्थान : DEORIA

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.